

निर्णय बईजलास श्री निकया गोहाएन आई0ए0एस0 जिला कलक्टर, झालावाड़

मि0न0 15/अपील/20

छगनलाल पुत्र विजयसिंह गूर्जर निवासी गुराडखेड़ा तहसील बकानी (अपीलान्ट)

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बकानी

(रिस्पो0)

अपील बनाराजी निर्णय दिनांक 18.03.2020 तहसीलदार बकानी

मिसल न0 16/20

उपरिस्थित श्री अजीतसिंह झाला अभिभाषक अपीलान्ट,
पैरोकार सरकार

—: निर्णय :-

दिनांक: 25.08.2020

यह अपील अपीलान्ट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार बकानी के आदेश दिनांक 18.03.2020 जो मिसल न0 16/2020 पर दिया गया जिसमें अपीलान्ट को ग्राम गुराडखेड़ा की आराजी ख0न0 234 रकबा 01 बीघा चरागाह भूमि पर अतिकमी मानकर 385/- शास्ती आरोपित करते हुए 30 दिन के सिविल कारावास से दण्डित किया से अप्रसन्न होकर पेश की गई है। अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने अपील में निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का फैसला खिलाफ कानून एवं पत्रावली संग्रह सार के विरुद्ध होने से निरस्तनीय है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट को अपना पक्ष प्रस्तुत करने व साक्ष्य प्रस्तुत करने व साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर नहीं देकर हल्का पटवारी की रिपोर्ट को आधार मानते हुए सजायाव किया है, अपीलान्ट का पश्चातवर्ती अतिक्रमण नहीं है पूर्व में ही कब्जा छोड़ चुका है। अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे।

अपील सब्जेक्ट टू लिमिटेडेशन दर्ज रजिस्टर की जाकर रिस्पो0 को तलब किया गया व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई।

अभिभाषक अपीलान्ट ने दौराने बहस अपील में की पुष्टी करते हुए आगे व्यक्त किया कि अपीलान्ट ने पेनल्टी की राशि जमा करवादी है व आराजी पर से कब्जा भी छोड़ दिया गया है। अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त किया जावे। इस पर पैरोकार सरकार ने व्यक्त किया कि अपीलान्ट द्वारा चरागाह की भूमि पर अतिक्रमण किया जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय जेर अपील पारित किया है। अपील खारिज की जावे।

हमने पत्रावली का अधोपान्त अवलोकन किया तथा बहस पैरोकार सरकार पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में अंकन किया गया है कि अपीलान्ट द्वारा पूर्व में भी राजकीय चरागाह आराजी पर अतिक्रमण किया गया था जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा मिसल न0 430 निर्णय दिनांक 20.09.2019 से 124/-रु. शास्ती आरोपित की गई थी इस प्रकार अपीलान्ट द्वारा पुनः चरागाह भूमि पर अतिक्रमण किया जाना साबित है व पश्चातवर्ती अतिक्रमण होने पर ही तहसीलदार बकानी द्वारा अपीलान्ट आदेश पारित किया गया है। चूंकि प्रकरण में तहसीलदार बकानी द्वारा पटवारी हल्का की मौका रिपोर्ट भिजवाई गई है उक्त रिपोर्ट अनुसार मौके पर भूमि खाली होना व कब्जा हटा लेने की रिपोर्ट अंकित है। ऐसी स्थिति में अपीलान्ट को इस अपील के माध्यम से राहत दिया जाना उचित प्रतीत होता है। अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट पर आरोपित शास्ती व बेदखली आदेश को यथावत रखते हुए सिविल कारावास की सजा से इस शर्त पर मुक्त किया जाता है कि अपीलान्ट अधीनस्थ न्यायालय में 15 योम की अवधि में 20000/- रुपये की जमानत व इतनी ही राशि का स्वयं का मुचलका प्रस्तुत करे तथा इस आशय का झपथ पत्र पेश करें कि भविष्य में उक्त वादग्रस्त भूमि पर ना तो स्वयं अतिक्रमण करेंगे और ना ही अपने किसी परिवारजन से करवायेंगे। यदि अपीलार्थी का विवादित आराजी पर स्वयं का अथवा अपने प्रतिनिधि के माध्यम से कब्जा पाया जाता है तो सिविल कारावास में दी गई छूट स्वतः ही निरस्त मानी जावेगी, उसके लिए पृथक से आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं होगी। पत्रावली फेसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली निर्णय की प्रति के साथ वापस लौटाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 25.08.2020 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(निकया गोहाएन)
जिला कलक्टर
झालावाड़